बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0:–भवन/स्था0–02–विविध–19/2026.....353.....पटना, दिनांक– 23/10/26

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के संकल्प सं0–8043 दिनांक–11.10.2017 एवं संकल्प सं0–1172 दिनांक–15.02.2018 के कंडिका–A(ii)(iii) एवं (iv) में निहित प्रावधानों के आलोक में भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से कॉलम–5 में अंकित वेतन स्तर के अनुसार अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/ वेतन स्तर	प्रभार ग्रहण की तिथि	शहरी परिवहन भत्ता के प्रभावी होने की तिथि	वेतन स्तर/ अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता
1	2	3	4	5
1	श्रीमती हर्षिता सिंह, सहायक अभियंता, संरचना अवर प्रमंडल सं0–09, संरचना प्रमंडल सं0–03	06.07.2026 के पूर्वाह्न	06.07.2026	वेतन स्तर–9 ₹3,000/– + महँगाई भत्ता
2	श्री शैलेन्द्र कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, केन्द्रीय भवन प्रमंडल सं0–01, पटना।	04.07.2026 के अपराह्न	05.07.2026	वेतन स्तर–9 ₹3,000/– + महँगाई भत्ता

2. यह भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 दिनों से अधिक अवधि तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुमान्य नहीं होगा।

3. यदि यह पाया गया कि उक्त पदाधिकारी को गलत परिवहन भत्ता का भुगतान किया गया है तो उसकी वसूली उनके वेतन से एकमुश्त कर ली जायेगी।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(मृदुला कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 9987 (भ) पटना, दिनांक– 23/10/26

प्रतिलिपि:– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/X/2026

सरकार के उप सचिव।